

कार्यालय सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.) 466001

Mob-9424790850 E-mail :- dfof.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2022/ 8085

सीहोर दिनांक .8./8../2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
संभाग बुधनी, जिला सीहोर।

विषय:- परिक्षेत्र लाङकुई में सनकोटा से सिराली मार्ग के निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर वन भूमि वनसंरक्षण 1980 के तहत ऑनलाईन आवेदन। (FP/MP/Road/148434/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/1653/टी.एस./2022-23 दि. 02.08.2022

--00--

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि प्रकरण में आपके द्वारा परिक्षेत्र लाङकुई में प्रस्तावित सनकोटा से सिराली मार्ग के निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन आवेदन क्रं/FP/MP/Road/148434/2021 से पंजीबद्ध कर प्रस्ताव की हार्डकापी इस कार्यालय में प्रेषित की गई है।

अतः प्रकरण वनमण्डल द्वारा ऑन लाईन भरा जाने वाला भाग-2 की पूर्ति हेतु मौके पर ले-आउट (सीमांकन एवं चिन्हांकन) उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी लाङकुई से सम्पर्क कर निम्नलिखित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

1. मौके पर सीमांकन का कार्य वन विभाग के अमले के समक्ष करावे तथा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार करावे।
2. प्रस्तावित स्थल को वन मानचित्र स्केल 1:12500 एवं 1:50000 पर उल्लेखित कर प्रत्येक 100 मीटर की जी.पी.एस. रीडिंग दर्शित करते हुए संयुक्त हस्ताक्षर उपरांत प्रेषित करावे।
3. प्रस्तावित क्षेत्रफल लंबाई एवं चौड़ाई (कक्ष अनुसार) रकबा सहित।
4. प्रभावित वन भूमि में विदोहन हेतु प्रस्तावित खड़े वृक्षों की गणना, सूची, गोशवारा, फार्म 30, अपसेट प्राइज तथा विदोहन व्यय की राशि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न करावे।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी की 24 बिंदुओं का निरीक्षण प्रतिवेदन।
6. वृक्षों की गणना संबंधी प्रमाण पत्र (गोलाई, दर, राशि) सहित।
7. प्रस्तावित मार्ग की वर्तमान चौड़ाई सोल्डर सहित की जानकारी।
8. प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य से होकर तो नहीं गुजरता तथा प्रस्तावित मार्ग की निकटतम अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की न्यूनतम दूरी।
9. निम्न तालिका अनुसार जानकारी:-

वन खण्ड	कक्ष क्रं	ल.(मी.) चैनैज अनुसार	उपलब्ध चौड़ाई (ROW) मी. में				यदि उपलब्ध (ROW) में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तो विवरण एवं कितनी चौड़ाई आने पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।	घनत्व	वन का प्रकार	प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रत्येक टैरिजिंग पाईट की जी.पी.एस. रीडिंग	
			डायरेक्ट / पक्का मी. में	बाया सोल्डर	दाया सोल्डर	कुल चौ. बिना वृक्ष प्रभावित				अक्षांश	देशांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0 मी.									
		50 मी.									

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी तैयार करावे।

डॉ. अनुपम सहाय भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2022/ 8086

सीहोर, दिनांक .8./8../2022

प्रतिलिपि :-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी लाङकुई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपकी ओर प्रस्ताव की एक मूलप्रति प्रेषित की जा रही है आवेदक विभाग द्वारा मौके पर ले-आउट (सीमांकन/चिन्हांकन) उपरांत पत्र में उल्लेखित बिंदुओं की जानकारी तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न मानचित्रों में आपके स्वयं के हस्ताक्षर उपरांत जांच प्रतिवेदन एवं मूल हार्डकापी समय सीमा में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। यदि आवेदक विभाग द्वारा संपर्क नहीं किया जाता है। तो अविलंब इस कार्यालय को सूचित करें।
2. उपवनमण्डलाधिकारी बुधनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर